

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म

(12 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के लिए)

परमिट संख्या 768/BF&VS/3/2019

दिनांक 23/11/19

सेवा में,

श्री/श्रीमती

वी.एस. जैन

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

निवास

3 प्रोफेसर लो लो नी. A-5 मठ

महोदय/महोदया,

प्लॉट नं. 771, 774, 776 म. क. नं. 281. में प्रस्तावित

निर्माण कार्य जिन्हें सलग्न नक्शे में दर्शाया गया है विन्यासित किये जाने की अनुज्ञा निम्नोक्त अनुबन्धों के अधीन की जाती है -

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है किन्तु इसके फलस्वरूप सार्वजनिक भूगृह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्राप्त होता है और न ही समाप्त होता है और न यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधित कार्यवाही हेतु निस्विकल्प अथवा विवक्षित करती है एवं इसमें स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भाति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

2. यह अनुज्ञा किसी भी समय पत्यापेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान लब्ध्यो को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।

3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहे सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आँकड़े बालकनी छज्जा कारनिंस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हो, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप मूल से इस नक्शे में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।

4. ऐसे निर्माण कार्यो के लिये नगर महानपालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन प्रथम स्वीकृति अनिवार्य है।
ज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्ण स्वीकृति अनिवार्य होगी।

5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करे अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करे जहाँ पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार स0 प0 विद्युत परिषद द्वारा न हटा दिये जायें।

6. अनुज्ञापत्र के साथ सलग्न। एवं 2 के प्रावधानों का पालन करना होगा।

7. भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

सलग्न: स्वीकृति मानचित्र

महोदय

संख्या 768/BP&VS/579-10. तद दिनांक 23/11/19

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

प्रतिलिपि- 1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आगरा को सूचनाार्थ।

2. सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनाार्थ।

3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापति पत्र स0 दिनांक को सन्दर्भ में फायर के प्राविधानों को सुनिश्चित करावे।

4. पर्यटन अनुभाग को सूचनाार्थ।

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा